

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक:प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 13-19

दिनांक 06.04.2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/1178-1226 दिनांक 05.03.2022, की निरन्तरता में सूचित कर लेख है कि स्वायत्तशासी निकायो के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) की सुविधा हेतु एक मुश्त राशि रुपये 105000/- जमा कराने के पश्चात योजना का लाभ जीवनपर्यन्त मिलने का प्रावधान राजस्थान सरकार, कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के आदेश दिनांक 24.03.2022 द्वारा प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। उक्त योजना के लिए अन्य कृषि विश्वविद्यालयो की भाँति इस विश्वविद्यालय द्वारा सहयोग के रूप में राशि रुपये 30000/- जमा करवाना पूर्व में तय किया जा चुका है।

अतः उक्तानुसार प्रीमियम राशि जमा कराने के संबंध में विश्वविद्यालय के पेंशनरों को दिनांक 30.04.2022 तक पेन्सनर द्वारा वहन की जाने योग्य राशि रुपये 75000/- की, पेंशन से प्रति माह कटौती करने संबन्धित सहमति पत्र, इस कार्यालय को प्रस्तुत करवाना होगा एवं तदनुसार माह अप्रैल-2022 के पेंशन राशि से निम्नानुसार कटौती आरम्भ की जायेगी।

- 1- जिन पेंशनरों को पेंशन प्रति माह राशि रुपये 50000/- से अधिक भुगतान किया जा रहा है, उनकी पेंशन से 2 समान किस्तों में कटौती की जायेगी।
- 2- जिन पेंशनरों को पेंशन प्रति माह राशि रुपये 50000/- तक या कम भुगतान किया जा रहा है, उनकी पेंशन से छह समान किस्तों में कटौती की जायेगी।

(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर
5. नोडलअधिकारी / प्रभारी CIMCA, को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. अध्यक्ष, Teaching/Non teaching, पेन्सनर्स वेलफेयर सोसाईटी, SKRAU
7. रक्षित पत्रावली/सूचनापट्ट

(पवन कुमार कस्वां)
वित्तनियंत्रक

श्रीमान वित्तनियंत्रक,
स्वामी केशवानन्द राज. कृषि वि.वि.,
बीकानेर

विषय: राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत पेंशन से कटौती करने की सहमति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की मैं स्वामी केशवानन्द राज. कृषि वि.वि., बीकानेर के अन्तर्गत की गई सेवायें से दिनांक----- को सेवानिवृत्त हो गया / गयी हूँ तथा मैं विश्वविद्यालय का नियमित पेंशनर हूँ। मैं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) का लाभ लेना चाहता /चाहती हूँ। अतः विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 06.04.2022 के अनुसरण में, मैं अपनी मासिक पेंशन से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) प्रीमियम राशि की कटौती बाबत पेंशन से राशि रुपये 75000 की कटौती निर्धारित किस्तों में कराने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

दिनांक.....

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम.....

PPO No.....

SSO ID No.

इकाई का नाम.....

.....

Mobile Contact No.